

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 161 : Rectification of errors apparent on the face of record

Without prejudice to the provisions of section 160, and notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, any authority, who has passed or issued any decision or order or notice or certificate or any other document, may rectify any error which is apparent on the face of record in such decision or order or notice or certificate or any other document, either on its own motion or where such error is brought to its notice by any officer appointed under this Act or an officer appointed under the State Goods and Services Tax Act or an officer appointed under the Union Territory Goods and Services Tax Act or by the affected person within a period of three months from the date of issue of such decision or order or notice or certificate or any other document, as the case may be:

Provided that no such rectification shall be done after a period of six months from the date of issue of such decision or order or notice or certificate or any other document:

Provided further that the said period of six months shall not apply in such cases where the rectification is purely in the nature of correction of a clerical or arithmetical error, arising from any accidental slip or omission:

Provided also that where such rectification adversely affects any person, the principles of natural justice shall be followed by the authority carrying out such rectification.

धारा 161 : अभिलेख पर प्रकट त्रुटि को सुधारना

धारा 160 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, कोई प्राधिकारी, जिसने किसी विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज को पारित या जारी किया है, उसमें किसी त्रुटि, जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती है, का या तो उसकी स्प्रेरण से या जहां ऐसी त्रुटि इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है या जो, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या किसी अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर प्रभावित व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी में लाई जाती है, सुधार कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई सुधार ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या किसी अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि उक्त छह मास की अवधि ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां सुधार, किसी घटनावश, चूक या लोप से उद्भूत होने वाली किसी लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को शुद्ध करने की प्रकृति का है :

परन्तु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति ऐसे सुधार के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, वहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का सुधार करने वाले प्राधिकारी द्वारा पालन किया जाएगा।